मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवंआवासविभाग
मंत्रालय

क्र./एफ- 237/2024/18-2 दिनांक 06/09/2024

प्रति, 2165/22655526/24/182 09/09/2024

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषयः- अव्यवहारिक निविदाओं (Unworkable Rates) में Additional Performance Security लिये जाने के संबंध में।

संदर्भः-1. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. एफ 10-17/2020/18-2, दिनांक 25.08.2022।

2. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. 1244, दिनांक 03.02.2023।

---00---

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. एफ 10-17/2020/18-2, दिनांक 25.08.2022 से अव्यवहारिक दरों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिशत दर आधार पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओ में प्राप्त न्यूनतम दर 10% से अधिक नीचे (more than ten percent below) को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानते हुये Additional Performance Security लिये जाने का प्रावधान किया गया है। अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार से अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) के रूप में, प्राप्त निविदा राशि (Contract Amount) एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost of PAC @ 10% Below) के अंतर की राशि लिया जाना प्रावधानित है।

प्रायः यह देखने में आया है कि निविदाकारों द्वारा निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदाओं में अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं एवं परियोजना को समय-सीमा में पूर्ण करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसे हतोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. Performance Security एवं Additional Performance Security के संबंध में निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

अधिकारी/कर्मचारी	SE(RG)
दि. 10-09-24	

E:\whatsapp\performance security revised Sep 2024.docx1

AE(RS) 6629 10/9/24

S. N.	Reference	Particulars*	Value Applicable for Works
1	ITB Clause 22	Performance Security & Additional Performance Security	ITB Clause 22 – 1. Performance Security to be deposited @ 3 (Three) % of the contract amount. 2. Additional Performance Security to be deposited @ equel to:- (a) If rates are below 10% and upto 20% - value equal to the percentage below 10% of probable amount of contract (PAC). (b) If rates are below 20% - as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC).
2	ITB Clause 22	Performance Security & Additional Performance Security shall be vaild up to	Vaild upto 3 months from the date of issuance of completion certificate.

Note- These values to be incorporated in the bid data sheet/ contract data sheet.

2. उपरोक्तानुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) की राशि की गणना के लिये निम्नानुसार गणितीय विधि अपनाई जावेः–

(अ) यदि निविदा की अनुमानित लागत (PAC) Rs. 100.00 लाख है तथा सफलतम निविदाकार की दर 27 प्रतिशत Below SOR हो तो अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी की गणना निम्नानुसार होगी :–

(a) अनुसार –
अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी की राशि
= (Probable Amount of Contract - Rates below ISSR beyond 10%)
= 100(20%-10%) = 10.00 लाख

(b) अनुसार
= Probable Amount of Contract x2 (Rates below ISSR beyond 20%)
= 100 x 2x (27 - 20) = 14.00 लाख

इस प्रकार कुल 24 लाख (10+14) अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी जमा कराई जायेगी।

3. अव्यवहारिक दरों (Unworkable Rates) हेतु अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) की राशि लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जाए। निविदा स्वीकृति की सूचना (Letter of Acceptance) के समय भी इसका उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए।

परफॉरमेन्स गारंटी निविदा में उल्लेखित मान्य Instrument में ली जा सकती है किंतु अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी मात्र fixed deposit receipt (FDR) के रूप में मान्य होगी।

5. अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी (Additional Performance Guarantee) जमा होने पर उसकी सत्यता का परीक्षण, बैंक से कराकर ही अनुबंध संपादित किया जाए।

6. अनुबंध न करने की स्थिति में निविदाकार की अमानत राशि (Bid Security) राजसात करने की कार्यवाही की जाए। ऐसे निविदाकारों को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जाए।

7. प्रायः ऐसे कार्य समय–सीमा में पूर्ण नहीं किये जाते हैं। कार्य के प्रभारी यंत्री एवं आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रगति की सतत् निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हों।

8. यदि अनुबंध में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर, संविदाकार द्वारा समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है तो ठेकेदार की मांग पर बढ़ाई गई समयावधि, के लिए मूल निविदा शर्तों की पेनाल्टी के अतिरिक्त अव्यवहारिक दरों के मामले में अतिरिक्त पेनाल्टी भी ली जायेगी। अतिरिक्त पेनाल्टी प्रत्येक एक माह की समयवृद्धि के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी का 1/12 भाग होगा। इस शर्त का उल्लेख निविदा की Special Conditions of Contract में पृथक से किया जाये।

9. ऐसे कार्य जिनमें अव्यवहारिक द्ररें (Unworkable Rates) प्राप्त होती हैं, उनमें गुणवत्ता नियंत्रण का विशेष ध्यान देते हुये कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराये जायें।

10. कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने, संविदाकार द्वारा अनुबंध न करने अथवा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा शर्तों अनुसार कार्यवाही के अतिरिक्त, ठेकेदार को काली सूची में डालने (Black Listing) की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किये जायें।

11. इस आदेश को निविदा एवं अनुबंध का भाग बनाना सुनिश्चित किया जाए।

12. यह आदेश लोक निर्माण विभाग के पृष्ठांकन क्र. 7971/ACS/24 दिनांक 03.09.2024 की सहमति अनुसार जारी किया जा रहा है।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का दायित्व, निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

6/9/24

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्यप्रदेश शासन।

पृ0 क्रमांक एफ 238 /2024/18–2 भोपाल, दिनांक 06/09/2024
प्रतिलिपिः– 2166/2265326/24/18-2 09-9-24

(1) निज सचिव, मान. मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/नर्मदा घाटी विकास/जल संसाधन विभाग
(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
(4) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
(5) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
(6) प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
(7) प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल।
(8) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल।
(9) समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
(10) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
(11) वेब कंटेन्ट मैनेजर, सी.एम.ए. वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
(12) आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/9

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग